उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री दीपेन्द्रसिंह राठौर आर0ए0एस0उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या– 53/2011 राजस्व वाद

दायर दिनांक–10.8.2011

निर्णय दिनांक– 20.4.16

1– गटु पिता लालजी जोगी निवासी खूँटवाडा तहसील सागवाडा

(वादी)

बनाम

1– रूपा पिता वेलजी कटारा
2– श्रीमती मोती पिता रूपा कटारा
3– श्री रूपा का दामाद जिसके पिता का नाम मालूम नहीं
4– धनेश्वर पिता खेमा कटारा
5– नीरू पुत्री रूपा कटारा
6– शीला पूत्री रूपा कटारा
7– रेखा पत्नि धनेश्वर कटारा
8– भीखा पिता कोदर जोगी निवासी खूटवाडा तहसील सागवाडा
9– राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सागवाडा

(प्रतिवादीगण)

वकील वादी – श्री चन्द्रशेखर शुक्ला

वकील प्रतिवादीगण–श्री मयंक दोसी

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने इस आशय का कि प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व के आराजी खसरा नम्बर 1429 रकबा 1 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण नहीं करें एवं न ही अन्य किसी के मार्फत करावें अन्तर्गत धारा 88,188

निर्णय

वाद वादी का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण खूँटवाडा के रहने वाले हैं ,प्रतिवादी संख्या 8 श्री भीखा जोगी जो कि वादी के काका होता है दोनो के संयुक्त स्वामित्व का खसरा नम्बर 1429 रकबा 1 बिस्वा जमीन मौजा खूँटवाडा में स्थित है उक्त जमीन वादी के मकान के ठीक पास में ही होने से प्रतिवादी संख्या 8 श्री भीखा ने उनके आधे हिस्से को वादी को सोंप दिया है एवं वर्तमान में वादी अकेला उक्त जमीन का मालिकाना हक रखता है लेकिन खाते में प्रतिवादी संख्या 8 का भी नाम होने से उसे प्रस्तुत दावे मे तरतीबी प्रतिवादी बनाया है । यह कि वादी की उक्त जमीन पर उसके पत्थर एवं लकडियां पडी हुई हैं एवं प्रतिवादीगण जबरन एवं अनाधिकार पूर्वक उक्त जमीन को हडपना चाहते हैं जिसके लिए वे आये दिन वादी से लडाई झगडा करते हैं ।वादी ने वाद के अन्त में

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

मौजा खूँटवाडा के खाता संख्या 91 के खसरा संख्या 1429 रकबा 1 बिस्वा का वादी खातेदार काश्तकार है एवं जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के द्वारा प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाने कि वे वादी के उक्त कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी पर अतिक्रमण नहीं करें , वादी के वैद्ध उपयोग एवं उपभोग में व्यवधान उत्पन्न नहीं करे एवं साथ ही उसके मालिकाना हक व अधिकारों पर कुठाराधात नहीं करें एवं न ही उसके शान्तिपूर्ण उपयोग एवं उपभोग में दखल अन्दाजी करे , न ही किसी अन्य के मार्फत उक्त कृत्य कारित कराने बाबत जारी की जाने का निवेदन किया गया है ।

वादी की ओर से वाद की पुष्टि मे शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए जमाबन्दी संवत 2064–67, खसरा गिरदावरी,पर्चा मौकमा,नक्षा ट्रैस, तहसीलदार सा0 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र , रसीद , पुलिस थाने मे दिये प्रार्थना पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए । प्रतिवादी संख्या 1 से 7 दिनांक 21.5.2012 को अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए । प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ जिसमें आराजी नम्बर 1429 की रकबा 1 बिस्वा भूमि संयुक्त स्वामित्व की होना स्वीकार किया है लेकिन श्री भीखा के द्वारा जमीन वादी को सोंपने से इन्कार करते हुए आज भी प्रतिवादी संख्या 8 का कब्जा होना एवं प्रतिवादी संख्या 8 अपने हिस्से की भूमि वादी को देने तैयार नहीं होना बताते हुए जवाब के अन्त में मजिद अर्ज में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 आपस में रिश्तेदार होना , मौजा खूँटवाडा के खसरा नम्बर 1429 की रकबा 1 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 के संयुक्त स्वामित्व में दर्ज होकर इस पर वादी एंव प्रतिवादी संख्या 8 का संयुक्त कब्जा होने से वादी उसके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने एवं खातेदारी की घोषणा कराने का अधिकारी नहीं होना बताते हुए वाद वादी खारीज किया जाने का निवेदन किया गया है ।

वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 8 के जवाबदावे के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गई :–

तनकी संख्या 1:– आया मोजा खूँटवाडा के खसरा नम्बर 1429 रकबा 1 बिस्वा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 के सीरकती खातेदारी की है उस पर वादी काबिज होकर उपयोग में ले रहा है प्रतिवादी द्वारा सीरकती खाते की भूमि वादी को सुपुर्द कर दी है ? (वादी)

तनकी संख्या 2:– आया प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर जबरन अनाधिकार पूर्वक कब्जा कर हडपना चाहते हैं , भूमि खाते की है अतः वादी स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है ? (वादी)

तनकी संख्या 3:– आया वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1429 रकबा 1 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 8 के सह स्वामित्व मे दर्ज होकर उस पर वादी एवं

उपखण्ड अधिकारी
मागवाड़ा

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 8 का संयुक्त कब्जा है ?

तनकी संख्या 4:– दादरसी ? (प्रतिवादी)

उपरोक्तानुसार तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई । वादी की ओर से साक्ष्य मे वादी स्वयं गटू पिता लालजी पीडब्लू–1 का बयान शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज प्रदर्श कराए गए एवं गवाह तुलसी पीडब्लू–2 के बयान कलम बद्ध कराये गये ।

वादी की ओर से दिनांक 15/9/2013 इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी संख्या 8 भीखा की मृत्यु हो गई है अतः उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहता है तथा प्रतिवादी संख्या 8 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप किये जाने का निवेदन किया जाने पर प्रार्थना पत्र वादी स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 8 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप किये जाने के आदेश दिए गए ।

प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के विरूद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही होने से एवं प्रतिवादी संख्या 8 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप होने से वकील वादी की एक पक्षीय बहस सूनी गई । विद्वान वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए दस्तावेज प्रदर्श–1 जमाबन्दी संवत 2064–67 की ओर आकर्षिक करते हुए बताया कि आराजी नम्बर 1429 के वादी एवं प्रतिवादीसंख्या 8 संयुक्त खातेदार दर्ज रेकार्ड है।वकील वादी ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 8 ने वादी को सुपुर्द कर देने से वादी का ही कब्जा होकर उसकी लकडियां पडी हुई है।अतः वादी को वाद ग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया गया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । तनकीवाईज निर्णय निम्नानुसार है :–

तनकी संख्या 1:– आया मोजा खूँटवाडा के खसरा नम्बर 1429 रकबा 1 बिस्वा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 के सीरकती खातेदारी की है उस पर वादी काबिज होकर उपयोग में ले रहा है प्रतिवादी द्धारा सीरकती खाते की भूमि वादी को सुपुर्द कर दी है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी को है । दस्तावेज प्रदर्श –1 के अनुसार वादग्रस्त आराजी नंबर 1429 रकबा 1 बिस्वा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 के खाते दर्ज रेकार्ड है ।जिस पर वादी का कब्जा होकर उपयोग उपयोग कर रहा है ।प्रतिवादी संख्या 8 की मृत्यु हो जाने से वादी ने प्रतिवादी संख्या 8 के विरूद्ध कार्यवाही नही चाहने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 8 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गई है । प्रतिवादी की ओर से भूमि वादी को सुपुर्द नहीं किए जाने सम्बन्धि जवाब दावे में उल्लेख

उपखण्ड अधिकारी
मांगवाड़ा

Scanned by CamScanner

किया है इसके अतिरिक्त ऐसा कोई साक्ष्य एवं प्रमाण /दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिस पर उसका कब्जा हो एवं आराजी वादी को सुपुर्द नही की हो । अतः यह तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 2:— आया प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर जबरन अनाधिकार पूर्वक कब्जा कर हडपना चाहते हैं , भूमि खाते की है अतः वादी स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है ?
(वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी को है । वादग्रस्त आराजी वादी की खातेदारी की है प्रतिवादीगण को अनाधिकार पूर्वक कब्जा करने का कोई अधिकार नही है प्रतिवादी संख्या 8 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप हो जाने एंव वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा के लिए निवेदन किया गया है अतः वादी अपनी खातेदारी भूमि होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी होने से यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 3:— आया वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1429 रकबा 1 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 8 के सह स्वामित्व मे दर्ज होकर उस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 का संयुक्त कब्जा है ?
(प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी को है । चूँकि प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 8 की मृत्यु हो जाने से तथा उसके विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप हो जाने से इस तनकी का विस्तृत विवेचन तनकी संख्या 1 के निर्णय मे किया जा चुका है पुनः विवेचन की आवश्यकता नही है ।

उपरोक्त तनकीवाईज निर्णय अनुसार तनकी संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में निर्णित होने से वाद वादी स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर वादी को मौजा खूँटवाडा के खाता नं0 91 के खसरा संख्या 1429 रकबा 1बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे वादी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं करें वादी के वैद्ध उपयोग एवं उपभोग में व्यवधान उत्पन्न नहीं करें ,उसके मालिकाना हक व अधिकारों पर कुठाराघात न करे एंव न ही उसके शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में दखल अन्दाजी करें न किसी अन्य के मार्फत उक्त कत्य कारित करावें ।

डिक्री पर्चा जारी हो । निर्णय आज दिनांक 20.4.16 को खूले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो ।

(दीपेन्द्रसिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner